प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाडमेर** थाना:– **सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2022**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या....247/22.... दिनांक....20/6/2022....
2. (1) अधिनियम **पी0सी0एक्ट** धारा :–**7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018**
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–
(3) अधिनियम .... धाराये :–....................................
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या....374....समय....11:35 Pm
(ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक **19.06.2022** समय **1.05 पी0एम0**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक **06.06.2022** समय **10.10 ए0एम0**
4. सूचना की किस्म :– **कम्प्यूटराईज्ड**
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से बदिशा पूर्व करीबन 100 किलोमीटर**
(ब) पता :– **आरोपी का रहवासीय मकान अग्रवाल कॉलोनी, बालोतरा जिला बाड़मेर**
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. परिवादी / सूचनाकर्त्ता
(अ) नाम :– **श्री अन्नाराम**
(ब) पिता का नाम :– **श्री खेमाराम**
(स) जन्मतिथि / वर्ष :– **उम्र 40 वर्ष**
(द) राष्ट्रीयता :– **भारतीय**
(य) पाटपोर्ट संख्या :–.................................... जारी होने की तिथी....................
(र) व्यवसाय :– **ठेकेदारी**
(ल) पता :– **निवासी सुरा जागीर तहसील व जिला बाड़मेर**
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
श्री जयप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री अन्तराम गुप्ता उम्र 57 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी, बालोतरा जिला बाड़मेर हाल अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड़ बालोतरा जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 776983887 एवं 8764134987
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–....................................
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पतिया का कुल मूल्य :– **ट्रेप राशि 1,00,000 रुपये**
11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो)....................................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

(signature)

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

बाड़मेर

विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने बाबत।

महोदय,

निवेदन मुझ प्रार्थी अन्नाराम पुत्र श्री खेमाराम जाति जाट उम्र 40 निवासी सुरा जागीर तहसील व जिला बाड़मेर का इस प्रकार है कि मै ठेकेदारी का कार्य करता हूँ मेरा पीएचईडी विभाग खण्ड बालोतरा में जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्य चल रहा है जिसका कुछ पेमेन्ट हो गया है एवं कुछ पेमेन्ट बकाया है। मेरे द्वारा किये गये कार्यो के बिल भुगतान की एवज में श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता पीएचईडी खण्ड बालोतरा द्वारा पूर्व में मेरे एक लाख सत्तर हजार रुपये 2.5 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से रिश्वत के रुप में प्राप्त कर चुके है। मेरे द्वारा किये गये 1 करोड 21 लाख रुपये के कार्यो के भुगतान की एवज मे कमीशन के रुप में 2.5 प्रतिशत के हिसाब 3 लाख रुपये ओर रिश्वती राशि की मांग श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की जा रही है और रिश्वत राशि नही देने पर वर्तमान में चल रहे कार्यो का भुगतान रोकने की धमकी दी जा रही है। मै रिश्वती राशि नही देकर श्री जयप्रकाश गुप्ता को रंगे हाथो गिरफतार करवाना चाहता हूँ। मेरे व श्री जयप्रकाश गुप्ता बीच कोई रंजिश नहीं है एवं न ही किसी प्रकार का कोई लेन–देन बकाया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ने की कार्यवाही करने की कृपा करावें।

भवदीय
–एसडी/–
(अन्नाराम)
निवासी सुरा जागीर
मोबाईल नम्बर 9079125959

एसडी/–
रामनिवास
6.6.22

एसडी/–
रामावतार
19/06/22

एसडी/–
रामनिवास
19.06.2022

एसडी/–
रामकरण मीणा
19.06.2022

drm

कार्यवाही पुलिस दिनांक 06.06.2022 वक्त 10.10 ए0एम0

इस समय उक्त कम्प्यूटराईज्ड रिपोर्ट प्रार्थी अन्नाराम पुत्र श्री खेमाराम जाति जाट उम्र 40 निवासी सुरा जागीर तहसील व जिला बाड़मेर ने ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय की पेश की कि " मै ठेकेदारी का कार्य करता हूँ मेरा पीएचईडी विभाग खण्ड बालोतरा में जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्य चल रहा है जिसका कुछ पेमेन्ट हो गया है एवं कुछ पेमेन्ट बकाया है। मेरे द्वारा किये गये कार्यो के बिल भुगतान की एवज में श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता पीएचईडी खण्ड बालोतरा द्वारा पूर्व में मेरे एक लाख सत्तर हजार रुपये 2.5 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से रिश्वत के रुप में प्राप्त कर चुके है। मेरे द्वारा किये गये 1 करोड 21 लाख रुपये के कार्यो के भुगतान की एवज मे कमीशन के रुप में 2.5 प्रतिशत के हिसाब 3 लाख रुपये ओर रिश्वती राशि की मांग श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की जा रही है और रिश्वत राशि नही देने पर वर्तमान में चल रहे कार्यो का भुगतान रोकने की धमकी दी जा रही है। मै रिश्वती राशि नही देकर श्री जयप्रकाश गुप्ता को रंगे हाथो गिरफतार करवाना चाहता हूँ। मेरे व श्री जयप्रकाश गुप्ता बीच कोई रंजिश नहीं है एवं न ही किसी प्रकार का कोई लेन–देन बकाया है"। परिवादी ने दरियाफ्त पर यह भी बताया कि मेरी फर्म का नाम सियाग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के नाम से है, जो खण्ड बालोतरा में जल जीवन मिशन में कार्य कर रही है, मेरी फर्म द्वारा काफी कार्य किया जा रहा है, जिसका काफी भुगतान बकाया है, जबकि मैं कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन)अधिनियम की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर श्री मिश्रीमल कानि0 260 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर परिवादी श्री अन्नाराम व श्री मिश्रीमल कानि0 का आपस में परिचय करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अलमारी से चौकी हाजा का डिजिटल टेप रिकार्डर निकालकर परिवादी श्री अन्नाराम को उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑपरेट करने की विधि की समझाईश की गई। परिवादी ने बताया कि मैने अपने सूत्रो से ज्ञात किया है कि श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता आज बालोतरा स्थित अपने कार्यालय में उपस्थित है, जो आज मेरे से रिश्वती राशि मांगने के सम्बंध में वार्ता कर लेंगे, जिस पर परिवादी के कहेअनुसार श्री मिश्रीमल कानि0 को आवश्यक हिदायत कर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर परिवादी के साथ रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु बालोतरा की तरफ रवाना किया गया एवं श्री मिश्रीमल कानि0 को हिदायत हुई की रिश्वती राशि मांग सत्यापन होने पर संक्षिप्त हालात जरिये मोबाईल अवगत करावें। ताबाद रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुए श्री मिश्रीमल कानि0 ने जरिये वाट्सॲप कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि निर्देशानुसार परिवादी के साथ पीएचईडी कार्यालय बालोतरा जाकर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता से वार्ता कर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करने हेतु सुपूर्द किया, जिस पर परिवादी श्री अन्नाराम ने श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता से वार्ता कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड किया एवं बताया कि श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता ने मेरे से मेरे पैण्डिंग बिल पारित करने के सम्बंध में अपनी कमीशन राशि के सम्बंध में वार्ता करते हुए उसी समय मेरे से 2,00,000रुपये प्राप्त कर लिये एवं शेष बिल पारित करने की एवज में सम्पूर्ण बिल के 2.5 प्रतिशत कमीशन के रुप में मांग की है, जो मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है। उन्होने वार्ता में यह भी कहा कि मैं बाकी वालो से 3 प्रतिशत कमीशन राशि लेता हूँ, आपसे 2.5 प्रतिशत ही ले रहा हूँ। श्री मिश्रीमल कानि0 ने यह भी बताया कि परिवादी ने बताया कि श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि अगला बिल बनने पर प्राप्त करेंगे एवं मुझे सूचित करेंगे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मिश्रीमल कानि0 को हिदायत हुई कि परिवादी को श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता द्वारा रिश्वत में मांगी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता द्वारा उसका अगला बिल पारित करने हेतु सूचित करने पर ब्यूरो चौकी बाड़मेर में उपस्थित होकर अग्रिम कार्यवाही करावें एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतते हुए परिवादी श्री अन्नाराम को रुखस्त करे।

तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री मिश्रीमल कानि0 ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आया एवं डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन के हालात अर्ज किये, जिस पर डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुनने पर पूर्व में जरिये वाट्सअप कॉल बताये गये तथ्यो की पुष्टि हुई एवं परिवादी श्री अन्नाराम से श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता द्वारा दौराने रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप 2.5 प्रतिशत राशि कमीशन राशि के रुप में बकाया बिलो

को पास करने की एवज में 2,00,000रुपये उसी समय प्राप्त करना एवं शेष 1,00,000रुपये रिश्वत की और मांग की गई। डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की सुरक्षा में रखा। आईन्दा परिवादी द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित करने पर गोपनीय कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

दिनांक 17.06.2022 को परिवादी श्री अन्नाराम ने जरिये वाट्सअप कॉल श्री मिश्रीमल कानि0 को समय 3.13 पी0एम0 पर वार्ता अवगत करवाया कि श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता ने मुझे मेरे बकाया बिल स्वीकृत करने की एवज में पूर्व में हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार 2.5 प्रतिशत कमीशन के रुप में शेष रिश्वत राशि 1,00,000रुपये लेकर दिनांक 18.06.2022 को बुलाया है। श्री मिश्रीमल कानि0 द्वारा उक्त तथ्य कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अन्नाराम को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1,00,000रुपये लेकर दिनांक 18.06.2022 को प्रातः 9.00ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत दी। ब्यूरो की प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बाड़मेर के नाम तेहरीर कमांक 1181 दिनांक 17.06.2022 मूर्तिव कर स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु श्री ठाकराराम कानि0 को रवाना किया जाकर हिदायत हुई की दोनो स्वतंत्र गवाहान के गोपनीय कार्यवाही में उपस्थित होने बाबत सक्षम अधिकारी से आदेश करवाकर गवाहान को आईन्दा गोपनीय कार्यवाही में आवश्यकता होने पर जरिये मोबाईल तलब करने पर तुरन्त ही ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित होने बाबत पाबंध कर उपस्थित आवें, जिस पर श्री ठाकराराम कानि0 द्वारा कार्यालय उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग बाड़मेर का आदेश कमांक 558 दिनांक 17.06.2022 प्रस्तुत कर बताया कि ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही हेतु आदेश कवाकर स्वतंत्र गवाह श्री पुखराज बामणिया पर्यवेक्षक एवं श्री रामकरण मीणा कनिष्ठ सहायक को आईन्दा आवश्यकता होने पर तुरन्त ही ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित होने बाबत पाबंध करवाकर उपस्थित आया हूँ, जिस पर उक्त आदेश को शामिल रनिंग नोट किया गया। ब्यूरो स्टाफ को भी प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 18.06.2022 को प्रातः 8.30 ए0एम0 पर चौकी पर उपस्थित होने बाबत पाबंध किया गया।

दिनांक 18.06.2022 को परिवादी अन्नाराम ने जरिये वाट्सअप कॉल श्री मिश्रीमल कानि0 को अवगत करवाया कि मैने श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता से जरिये मोबाईल वार्ता कर आज आने का पुछा तो उन्होने कहा कि मैं अभी जयपुर से आया हूँ एवं आज विभागीय वि0सी0 है, इसलिए आप कल दिनांक 19.06.2022 को आना। श्री मिश्रीमल कानि0 ने परिवादी से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की वार्ता करवाने पर परिवादी को हिदायत हुई की आप श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता से हुई वार्ता अनुसार कल दिनांक 19.06.2022 को प्रातः 9.00 ए0एम0 पर आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आवें। ब्यूरो स्टाफ को भी कल दिनांक 19.06.2022 को चौकी पर प्रातः 9.00 ए0एम0 पर उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया।

दिनांक 19.06.2022 को पूर्व पाबंध सुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री पुखराज बामणिया पर्यवेक्षक एवं श्री रामकरण मीणा कनिष्ठ सहायक को को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये मोबाईल वार्ता कर गोपनीय कार्यवाही में समय 9.00 ए0एम0 तक ब्यूरो चौकी बाड़मेर में उपस्थित होने हेतु पाबंध किया गया, जिस पर पूर्व पाबंध सुदा स्वतंत्र गवाह श्री रामकरण मीणा पुत्र स्व0 श्री गुल्लाराम मीणा जाति मीणा उम्र 28 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव रामपुरा पोस्ट सेवापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बाड़मेर उपस्थित आया एवं दूसरे गवाह श्री पुखराज बामणिया के सम्बंध में पूछने पर बताया कि वह अभी तक उपस्थित नहीं हुए है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये मोबाईल वार्ता करने पर श्री पुखराज बामणिया द्वारा बताया गया कि मैं आज अवकाश होने के कारण अभी जालोर हूँ। उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, जिस पर श्री पुखराज बामणिया के नियंत्रण अधिकारी श्री गिरधारीराम को जरिये मोबाईल वार्ता कर दूसरा गवाह अविलम्ब उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर उन्होने अवगत करवाया कि कुछ समय बाद में आपके पास श्री रामअवतार मीणा कनिष्ठ सहायक उपस्थित हो जायेगा। श्री रामकरण मीणा को स्टाफ रुम में बैठने की हिदायत हुई। परिवादी श्री अन्नाराम रिश्वत में दी जाने वाली राशि सहित उपस्थित आया। पूर्व पाबंध श्री रामअवतार मीणा कनिष्ठ सहायक मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुआ, जिस पर अन्य गवाह को कार्यालय कक्ष में तलब कर दोनो स्वतंत्र गवाह से परिचय प्राप्त करने पर उन्होने अपना परिचय श्री रामकरण मीणा पुत्र स्व0 श्री गुल्लाराम मीणा जाति मीणा उम्र 28 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव रामपुरा पोस्ट सेवापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बाड़मेर एवं श्री रामअवतार मीणा पुत्र श्री प्रभुदयाल मीणा जाति मीणा उम्र 23 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव ईश्वरीपुरा पोस्ट पुटोलाउ पुलिस थाना आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि

विभाग, बाड़मेर होना बताया, जिस पर पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री अन्नाराम को दोनो गवाहान से परस्पर परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढ़ाया गया। दोनो गवाहान ने भी परिवादी से उक्त शिकायत के तथ्यो के सम्बंध में वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी की उपस्थिति में दोनो गवाहान को सुनाया गया। परिवादी की रिपोर्ट एंव वार्तालाप में सत्यापन से संबधित अंशो को सुनने के पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की।

उपरोक्त दोनों गवाहान के रूबरू परिवादी अन्नाराम पुत्र श्री खेमाराम जाति जाट उम्र 40 निवासी सुरा जागीर तहसील व जिला बाड़मेर को आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड बालोतरा जिला बाड़मेर को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया, तो परिवादी श्री अन्नाराम ने पॉच सौ रुपये के दो सौ नोट कुल 1,00,000रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये जाकर कार्यालय हाजा के मालखाना को श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 62 से खुलवाया जाकर फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई जाकर श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 62 से उक्त 1,00,000रूपये के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री अन्नाराम की जामा तलाशी गवाह श्री रामकरण मीणा कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री अन्नाराम के साथ लाए थैले में श्री मोहम्मद हनीफ़ हैड़ कानि0 62 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर या ब्यूरो के किसी अन्य स्टाफ के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 62 के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 62 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी जाकर श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 62 से मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना–अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 62 को कार्यालय हाजा में वास्ते निगरानी पीछे छोड़ने का निर्णय लिया गया। फर्द मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई एवं रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय हाजा में छोडा जाकर मन् रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी श्री अन्नाराम, हमराह स्वतन्त्र गवाहान श्री रामकरण मीणा एवं श्री रामाअवतार मीणा ब्यूरो जाब्ता श्री मिश्रीमल कानि0 नं0 260, श्री सुराब खां कानि0 नं0 499, श्री ठाकराराम कानि0, श्री अनूपसिंह कानि0 नं0 397, मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आरजे 14 यूए 9364 व वाहन चालक श्री बांकाराम कानि0 584 एवं परिवादी की निजी वाहन स्कॉपियो के ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी

बाड़मेर से परिवादी के बताये अनुसार बालोतरा स्थित श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता के आवास को रवाना होकर उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहियान के करबा बालोतरा में अग्रवाल कॉलोनी के पास पहुचा। परिवादी श्री अन्नाराम को ब्यूरो चौकी का डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर रिश्वती राशि लेन–देन हेतु मुख्य सड़क से बायीं तरफ स्थित मकान की तरफ भेजा एवं परिवादी को पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारे की हिदायत की। परिवादी श्री अन्नाराम के पीछे–पीछे श्री सुराबखां कानि0 एवं श्री मिश्रीमल कानि0 को भेजा एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमरायान के परिवादी के निर्धारित गोपनीय ईशारे के इन्तजार में पास ही मुख्य सड़क पर वहॉ खडे वाहने में बैठे मुकीम हुए। थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा को जरिये वाट्सअप कॉल एक महिला कानि0 को पाबंध कर उपस्थित रखने एवं आवश्यकता पड़ने पर कॉल करते ही बताये हुए स्थान पर भेजने बाबत पाबंध किया।

दिनांक 19.06.2022 को समय करीबन 1.05 पी0एम पर परिवादी श्री अन्नाराम ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता के रहवासीय मकान के मुख्य गेट के बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फैर कर किया। चूंकि रिश्वती राशि लेन–देन आरोपी के रहवासीय मकान में होने से पूर्व में थानाधिकारी, पुलिस थाना बालोतरा को एक महिला कानि0 को अविलम्ब उपलब्ध करवाने बाबत जरिये मोबाईल पाबंध करवाया गया था, जिस पर थानाधिकारी को कॉल करने पर कुछ ही समय में श्रीमति सुन्दर महिला कानि0 478 पर उक्त स्थान पर उपस्थित आई, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप दल एवं स्वतंत्र गवाहान के श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता के रहवासीय मकान के मुख्य गेट के पास पहुचा, जहॉ पर परिवादी श्री अन्नाराम सामने से आता हुआ दिखा, जिस पर परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आफ कर कब्जे में लिया एवं परिवादी श्री अन्नाराम को साथ लेकर ट्रेप दल व श्रीमति सुन्दर महिला कानि0 के उक्त रहवासीय घर के अन्दर प्रवेश हुआ, जिसमें अन्दर प्रवेश करने पर सामने के एक कक्ष में एक व्यक्ति पलंग पर बेठा हुआ मिला। परिवादी श्री अन्नाराम ने बताया कि यह ही श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता है, जिसने अभी अभी मेरे से रिश्वत राशि मुख्य गेट के पास के कमरे में मेरे से वार्ता कर रिश्वत राशि कांच की टेबल पर रखवाई है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए स्वयं एवं ट्रेप दल का परिचय बताते हुए पलंग पर बैठे व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री जयप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री अनन्तकुमार गुप्ता उम्र 57 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी, बालोतरा जिला बाड़मेर हाल अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड बालोतरा जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 776983887 एवं 8764134987 होना बताया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पास ही खड़े परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा की आप इन्हें पहचानते है एवं परिवादी से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है, जिस पर आरोपी ने बताया कि मैं इनको जानता हूँ, यह अन्नाराम है, यह सियाग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का प्रोपराईटर है, जिनका बालोतरा खण्ड़ में जल जीवन मिशन में कार्य चल रहा है। इसने मुझे कुछ समय पूर्व मोबाईल कॉल कर घर पर होने का पूछा, जिस पर मैने घर पर ही होना बताया, कुछ समय बाद यह मेरे घर पर आया एवं मेरे से अपने कार्य के सम्बंध में वार्ता कर कुछ रुपये स्वैच्छा से कमरे में कांच की टेबल पर रख दिये, जिस पर मैने कहा क्या रख कर जा रहा है, यह रुपये किस बात के रख रहा है, लेकर जा, किन्तु यह कमरे से बाहर चला गया। मैने उसे कहा यहॉ मत रखो किन्तु वह यहा रख कर चला गया। यह रुपये किस बात के है, मुझे पता नहीं है। मैने इनसे किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं ली है, यह जबरदस्ती रख कर चला गया है। रुबरु गवाहान परिवादी से रिश्वती राशि लेन–देन के सम्बंध में पूछने पर परिवादी ने बताया कि मैने इनको कॉल कर इनकी उपस्थिति पूछी तो इन्होने घर पर ही होना बताया, जिस पर मैं डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर इनके घर के अन्दर आया एवं बेल बजाई, जिस पर श्री जयप्रकाश गुप्ता ने गेट खोला एवं हम गेट के पास वाले कमरे में आ गये। मैने इनको पूर्व में मांगी गई रिश्वती राशि एक लाख रुपये निकालकर दी तो इन्होने अपने हाथ में नहीं लेकर मेरे से कांच की टेबल के उपर रखवाई एवं कहा कि यह पहले का हिसाब पूरा हो गया, अब अभी वाले बाकी है। उसके बाद मैं बाहर आ गया एवं गेट के बाहर आकर मैने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया, जिस पर आप लोग आ गये। इन्होने मेरे से मेरी फर्म सियाग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा बालोतरा खण्ड में करवाये गये कुल 1 करोड़ 21 लाख रुपये के भुगतान की एवज में 2.5 प्रतिशत कमीशन राशि बतौर रिश्वम मांग कर उक्त राशि में से 2 लाख रुपये पूर्व में रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 06.06.2022 को प्राप्त कर लिये एवं शेष राशि 1 लाख रुपये आज प्राप्त किये है। रुबरु गवाहान पुनः श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता से परिवादी से रिश्वत प्राप्त करने के सम्बंध में स्पष्टीकरण पूछने पर उन्होने कहा कि यह जबरदस्ती पैसे रख कर गया, मैने हाथ नहीं लगाया। चूंकि परिवादी श्री अन्नाराम के कथनानुसार आरोपी द्वारा रिश्वती राशि अपने हाथ में नहीं लेने के कारण हाथ धोवन की कार्यवाही नहीं करने का निर्णय लिया गया। चूंकि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग कर

कमरे में कांच की टेबल के उपर ईशारा कर रखवाई गई को स्वतंत्र गवाह श्री रामकरण मीणा से उठवाई जाकर दूसरे स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार मीणा कनिष्ठ सहायक से गिनवाये गये तो पॉच–पॉच सौ के दौ सौ नोट कुल 1,00,000रुपये होना पाये गये, जिस पर उक्त नोटो का मिलान पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी से करवाने पर गवाहान ने हुबहु नोट होना बताया, उक्त बरामदा रिश्वती राशि को एक कपड़े में थैली में डालकर सील्ड चिट कर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात उक्त रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से साफ गिलास में श्री जयप्रकाश गुप्ता के निवास से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलास में आधा साफ पानी भरकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया, जिस पर एक साफ कपडे के टुकड़े को साफ पानी से गिला कर उक्त कपडे के टुकडे को कांच के टेबल जिस स्थान पर से रिश्वती राशि बरामद हुई थी उक्त स्थान को रगड़ कर उक्त गिलास में भरे पानी में डुबोकर निचौडा गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क टी–1 व टी–2 अंकित किया गया एवं उक्त कपडे के टुकड़े को सुखाकर एक थैली में सिल्ड मोहर कर सम्बंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात श्री जयप्रकाश गुप्ता की जामा तलाशी श्री रामकरण मीणा कनिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो श्री जयप्रकाश गुप्ता के पहने हुए टी–शर्ट एवं निकर के अलावा उसके पास अन्य कोई राशि या आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। श्री जयप्रकाश गुप्ता के पास एक ड्यूल सीम मोबाईल एन–1 प्लस होना एवं उसमें एयरटेल सीम मोबाईल नम्बर 776983887 एवं बीएसएनएल सीम मोबाईल नम्बर 8764134987 होना बताया, जिस पर उक्त मोबाईल को श्री जयप्रकाश गुप्ता के कहे अनुसार उनके पुत्र श्री आयुश गुप्ता को सुपूर्द किया गया। आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता से परिवादी की फर्म के बकाया बिल एवं उससे सम्बंधित दस्तावेजात के सम्बंध में पूछने पर बताया कि इनकी फर्म से सम्बंधित समस्त दस्तावेजात कार्यालय में है एवं आज अवकाश होने से कार्यालय में कोई नहीं है। फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं धोवन कार्यवाही मूर्तिब कर सम्बंधितान के फर्द पर हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी के घर पर उनका पुत्र श्री आयुश गुप्ता उपस्थित थे एवं उनकी पुत्री एवं धर्मपत्नि बालोतरा शहर में गये हुए थे।

तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री अन्नाराम एवं आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता, पीएचईडी खण्ड़ बालोतरा जिला बाड़मेर के मध्य दिनांक 06.06.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ तैयार की जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। ताबाद परिवादी श्री अन्नाराम एवं आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता, पीएचईडी खण्ड़ बालोतरा जिला बाड़मेर के मध्य आज दिनांक 19.06.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ तैयार की जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता, पीएचईडी खण्ड़ बालोतरा जिला बाड़मेर की आवाज की पहचान परिवादी श्री अन्नाराम द्वारा की गई। ट्रेप कार्यावाही विरुद्व श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता, पीएचईडी खण्ड़ बालोतरा जिला बाड़मेर में परिवादी श्री अन्नाराम की निशादेही पर नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यावाही विरुद्व श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता, पीएचईडी खण्ड़ बालोतरा जिला बाड़मेर में आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता के रहवासीय मकान अग्रवाल कॉलोनी, बालोतरा जिला बाड़मेर की खाना तलाशी मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री नन्दकुमार गुप्ता उम्र 57 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी, बालोतरा जिला बाड़मेर हाल अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड़ बालोतरा जिला बाड़मेर के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द

दिनांक 19.06.2022 को समय 8.30 पी0एम0 पर गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनके पुत्र श्री आयुश गुप्ता को दी गई। ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि मांग सत्यापान वार्तालाप एवं रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप की एक–एक मूल सी0डी0 शील्ड शुदा एवं एक–एक डब सी0डी0 खुली एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त रिश्वती राशि 1,00,000रू0 शील्ड चिटयुक्त, धोवन की शीशियां मार्क टी–01 व टी–02, सफेद कपडे के टुकडे का शील्ड शुदा पैकेट, इत्यादि मालखाना आईटम्स श्री सुराबखां कानि0 को सुपूर्द कर हिदायत हुई की ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुच श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि0 मालखाना प्रभारी को सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाये। ट्रेप कार्यवाही में मौकी की कार्यवाही पूर्ण होने पर आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता के रहवासीय आवास से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के गिरफतार श्री जयप्रकाश गुप्ता के जरिये सरकारी वाहन एवं परिवादी श्री अन्नाराम व उसके निजी स्कॉपियो के मय मालखाना आईटम के ब्यूरो चौकी बाड़मेर के लिए रवाना हुआ। श्रीमति सुन्दर महिला कानि0 को रुखस्त दी। चूंकि रात्रि का समय होने एवं ट्रेप दल को भोजन करवाया जाना होने से बालोतरा से रवाना होकर बायतु के पास होटल पर पहुच ट्रेप दल सदस्यो को भोजन करवाया। ताबाद रवाना सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुचा। ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना आईट्म श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि0 से जमा मालखाना करवाया गया एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री अन्नाराम को रुखस्त दी जाकर प्रकरण हाजा में गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के नाम तेहरीर मुर्तिब कर श्री सुराबखां कानि0, श्री बांकाराम कानि0, श्री सांवरमल कानि0 मय आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता के मुनासिब हिदायत दी जाकर जरिये सरकारी वाहन के रवाना किया गया एवं पुलिस थाना कोतवाली के नाम तेहरीर मूर्तिब कर ब्यूरो स्टाफ को सुपूर्द कर हिदायत हुई की आरोपी के स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के बाद सीधे ही पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षित जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर उपस्थित आवें। उपरोक्त फिकरा के श्री सुराबखां कानि0 एवं श्री बांकाराम कानि0 आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के पश्चचात आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर के हवालात में सुरक्षित जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ब्यूरो चौकी पर जरिये सरकारी वाहन मय चालक के उपस्थित आए। श्री सांवरमल कानि0 की निगरानी डयूटी मामूर की।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री अन्नाराम पुत्र श्री खेमाराम जाति जाट उम्र 40 निवासी सुरा जागीर तहसील व जिला बाड़मेर ने ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर दिनांक 06.06.2022 को रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिशाशी अभियन्ता ने परिवादी से उसके पैण्डिंग बिल पारित करने के सम्बंध में अपनी कमीशन राशि के सम्बंध में वार्ता करते हुए उसी समय परिवादी से 2,00,000रुपये प्राप्त कर लिये एवं शेष बिल पारित करने की एवज में सम्पूर्ण बिल के 2.5 प्रतिशत कमीशन के रुप में मांग की, जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की, जिस पर दिनांक 19.06.2022 को रुबरु गवाहान ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता को उनके रहवासीय मकान अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा जिला बाड़मेर में परिवादी से 1 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग कर कांच की टेबल पर रखवाई, जहाँ से बरामद की गई एवं उसका विधिवत धोवन लिया गया। इस प्रकार आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री अनन्तकुमार गुप्ता उम्र 57 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी, बालोतरा जिला बाड़मेर हाल अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड़ बालोतरा जिला बाड़मेर को अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत जरिये फर्द गिरफतार किया गया।

अतः आरोपी श्री जयप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री अन्नतराम गुप्ता उम्र 57 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी, बालोतरा जिला बाड़मेर हाल अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड़ बालोतरा जिला बाड़मेर के विरुद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,

(रामनिवास)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामनिवास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री जयप्रकाश गुप्ता, अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड बालोतरा जिला बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 247/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2175-79 दिनांक 20.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।

20.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।